संख्या- 03/2025/87/58-1857141-2025

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तचर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से सामान्य मद में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1575.00 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0-171.08 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-114.07 लाख को सम्मिलित करते हुये कुल धनराशि रू0-285.15 लाख को योजनान्तर्गत 27-सब्सिडी मद में उपलब्ध हो रही बचतों के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-59/बजट/2024-25, दिनांक 04.10.2024 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या- आर0ई0-बजट-1-250/ई-1/दस-2025, दिनांक- 09.01.2025 एवं पृष्ठांकन संख्या-85/58-2025, दिनांक-09.01.2025 एवं संख्या- आर0ई0-बजट-1-251/ई-1/दस-2025, दिनांक- 09.01.2025 एवं पृष्ठांकन संख्या-86/58-2025, दिनांक-09.01.2025 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से सामान्य मद में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1575.00 लाख के सापेक्ष अवशेष **केन्द्रांश की धनराशि रू0-171.08 लाख** में 40 प्रतिशत **राज्यांश की धनराशि रू0-114.07 लाख** को सम्मिलित करते हुये **कुल धनराशि रू0-285.15 लाख** को योजनान्तर्गत 27-सब्सिडी मद में उपलब्ध हो रही बचतों के सापेक्ष मानक मद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान मद में रू0 5.31 लाख, मानक मद- 42-अन्य व्यय मद में रू0-274.86 लाख एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0-4.98 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0 285.15 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार

anadesh.up.gov.in

विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
2. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. भारत सरकार के पत्र दिनांक-22.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
9. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।

13. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

14. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,19,000 (रुपये तीन लाख उन्नीस हजार मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	42 अन्य व्यय	1,64,92,000 (रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख बानबे हजार मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,97,000 (रुपये दो लाख सत्तानबे हजार मात्र)
	कुल			**1,71,08,000** **(रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001198901 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**

1	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,12,000 (रुपये दो लाख बारह हजार मात्र)
2	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	42 अन्य व्यय	1,09,94,000 (रुपये एक करोड़ नौ लाख चौरानबे हजार मात्र)
3	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,01,000 (रुपये दो लाख एक हजार मात्र)
	कुल			**1,14,07,000** **(रुपये एक करोड़ चौदह लाख सात हजार मात्र)**

महायोग	**2,85,15,000** **(रुपये दो करोड़ पचासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 03(1) /2025/ 87 /58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanade

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) प्रपत्र बी0एम0-9

अनुदान संख्या व नाम-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष-2024-25 (धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401-फसल कृषि-कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-					
89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओ का संगत राज्यांश-8901-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना					
27-सब्सिडी	4283.30	114.07	114.07	114.07	4169.23
योग-	4283.30	114.07	114.07	114.07	4169.23

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401-फसल कृषि-कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-					
89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओ का संगत राज्यांश-8901-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना					
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	1.20	3.32	2.12	2.12	3.32

42-अन्य व्यय	11.65	121.59	109.94	109.94	121.59
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	14.45	16.46	2.01	2.01	16.46
योग-	27.30	141.37	114.07	114.07	141.37

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक साहित्य में 27-सब्सिडी मद में बचत होने के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय आय-व्ययक साहित्य में 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान, 42-अन्य व्यय, एवं 43-सामग्री एवं सम्पूरक में पाविधान अवशेष न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतियन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई.बजट-I-251/ई-1/बस-20, दिनांक: ~~अक्टूबर, 2024~~ 09 जनवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनय कुमार)
उप सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 08-01-2025 17:57:17

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या– 86 /58–2024–
लखनऊः दिनांकः ~~अक्टूबर, 2024~~
09 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) प्रपत्र बी0एम0-9

अनुदान संख्या व नाम-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष-2024-25 (धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401-फसल कृषि-कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-					
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना(के.60/रा.40-कें)					
27-सब्सिडी	6424.96	171.08	171.08	171.08	6253.88
योग-	**6424.96**	**171.08**	**171.08**	**171.08**	**6253.88**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401-फसल कृषि-कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-					
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन					

योजना(के.60/रा.40-के)					
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	1.80	4.99	3.19	3.19	4.99
42-अन्य व्यय	17.47	182.39	164.92	164.92	182.39
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	21.68	24.65	2.97	2.97	24.65
योग-	40.95	212.03	171.08	171.08	212.03

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक साहित्य में 27-सब्सिडी मद में रू0-171.08 लाख की आवश्यकता न होने के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय आय-व्ययक साहित्य में 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान, 42-अन्य व्यय एवं 43-सामग्री एवं सम्पूखत में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई.बजट-1-250/ई-1 /दस-2025 दिनांक: 09 ~~अक्टूबर, 2024~~ जनवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 08-01-2025 17:58:40

(विनय कुमार)
उप सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या– 85 /58–2024–
लखनऊः दिनांकः ~~अक्टूबर, 2024~~
09 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।